

प्रेस- विज्ञप्तिथाना जहानागंजदहेज के लिए पत्नी की हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादी साधार यादव उर्फ सधार यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी चन्द्रभानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 29/01/2023 को अपनी 25 वर्षीय पुत्री को ससुराल के लोगो द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने तथा चार चार पहिया गाड़ी व 06 लाख रुपये की माँग करना व पति द्वारा हत्याकर दूसरी शादी करने की धमकी देने व हत्या करने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया। जिनके लिखित तहरीर पर मु0अ0स0 45/23 धारा 498ए/506/304बी व 3/4 डीपी एक्ट बनाम

1. रामाकान्त यादव पुत्र शिवमंगल यादव
2. जेठ उमाकान्त यादव पुत्र शिवमंगल
3. उमेश यादव पुत्र शिवमंगल
4. शंकर यादव पुत्र शिवमंगल यादव
5. जेठानी नाम अज्ञात पत्नी उमाकान्त
6. ससुर शिवमंगल यादव पुत्र अज्ञात निवासीगण समस्तीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ थाना स्थानीय पर दिनांक 29.01.2023 को पंजीकृत कर विवेचना श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा अमल में लायी गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

उ0नि0 शिवकुमार कुशवाहा मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 45/23 धारा 498ए/506/304बी IPC व 3/4 डीपी एक्ट की विवेचना के दौरान मुखबीर खास से सूचना मिली कि संबंधित आरोपी उमेश यादव पुत्र शिव मंगल यादव निवासी समस्तीपुर उर्फ समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ इस समय डिहा बाजार में मौजूद हैं, यदि जल्दी क्रिया जाय तो पकड़ा जा सकता है, उक्त सूचना पर विश्वास कर विवेचक मय हमराहियान व मुखबीर खास के डिहा बाजार से पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम उमेश यादव पुत्र शिवमंगल निवासी समस्तीपुर उर्फ समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया, आरोपी उपरोक्त को 45/23 धारा 498ए/506/304बी IPC व 3 / 4 डीपी एक्ट का अपराध बताकर समय करीब 13.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 45/23 धारा 498ए/506/304बी व 3/4 डीपी एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उमेश यादव पुत्र शिव मंगल यादव निवासी समस्तीपुर उर्फ समसुदीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

उ0नि0 शिवकुमार कुशवाहा थाना जहानागंज आजमगढ़

का0 जितेन्द्र यादव, थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना-मेहनाजपुरपुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद।

पूर्व की घटना:- वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 08.02.23 समय 12 बजे वादी की अपनी बहन को परीक्षा दिलवाकर आ रहा था तभी अभियुक्त आकाश यादव अपने साथी रितेश यादव के साथ आवेदक की बहन को रास्ते में रोककर उसके ऊपर राड व चाकू से हमला किया व जान से मारने की नियत से तमन्चा से फायर किया जो मिस हो गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/23 धारा 323,324,307,504,506 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। घटना के बाद से ही अभियुक्त फरार चल रहा था तथा दिनांक 13-02-2023 को माननीय न्यायलय में आत्म समर्पण किया था जिसका आज दिनांक 23/02/2023 को पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण :- आज दिनांक 23.02.23 को व0उ0नि0 मोती लाल पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश यादव पुत्र कमला यादव निवासी पट्टी भिखारी थाना तरवां आजमगढ़ से पुलिस अभिरक्षा रिमांड के दौरान अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत किया गया था। रिमांड के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा व कारतूस मेहनाजपुर पल्हना मार्ग पर स्थित पुलिया के पास झाड़ी से बरामद कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 20/23 धारा 323,324,307,504,506 भादवि व धारा 7 सीएलए एक्ट व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

आकाश यादव पुत्र कमला यादव निवासी पट्टी भिखारी थाना तरवां आजमगढ़

विवरण बरामदगी :-

01 देशी तमंचा .315 बोर

01 अदद मिश कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

उ0नि0 मोती लाल पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

02. हे0का0 जयप्रकाश सिंह पटेल थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़

03. का. पवन कुमार गुप्ता थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त तीर्थराज यादव पुत्र दूधनाथ यादव निवासी फतुही थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व इसके सदस्यों को "शराब तस्कर गैंग" के रूप में किया सूचीबद्ध

दिनांक- 22.01.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त तीर्थराज यादव पुत्र दूधनाथ यादव निवासी फतुही थाना बरदह जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपमिश्रित शराब बनाकर नकली रैपर व ढक्कन तैयार कर अवैध शराब निर्माण कर तस्करी जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकशु लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर "सूचीबद्ध" (डी-118/2023) किया गया है। यह गैंग शराब तस्कर गैंग के नाम से जाना जायेगा।

जिसके गैंग के सदस्य निम्नलिखित हैं।

- 1.हितेश यादव पुत्र तीर्थराज यादव निवासी फतुही थाना बरदह।
2. राधेश्याम यादव पुत्र इंद्रजीत यादव निवासी कोहरौली थाना बरदह।
3. सियालाल यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी विजयपुर थाना मेहनगर
4. सूरज पटेल पुत्र रविंद्र नाथ निवासी पियरी बैजू का पुरवा थाना चौबेपुर वाराणसी
5. नेपाली उर्फ राकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी नक्खीघाट थाना सारनाथ वाराणसी
6. संतोष यादव पुत्र भोला यादव निवासी सठियांवां थाना मुबारकपुर.
7. सुशीला पत्नी तीर्थराज यादव पुत्र दूधनाथ यादव निवासी फतुही थाना बरदह आजमगढ़.